भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 879

दिनांक 25/07/2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में पेयजल की समस्या

879# श्री नीरज डांगी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान राज्य में पेयजल की समस्या से जूझने वाले अधिक आबादी वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बढ़ती जनसंख्या और उपलब्ध जल की बर्बादी पेयजल संकट के मुख्य कारण हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार ने ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार कार्यक्रम मध्यवर्तनों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। राजस्थान राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 4 शहरों नामत: दौसा, सिरोही, पाली और अलवर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

(ख): बारहमासी सतही जल और टिकाऊ भू-जल स्रोत की कमी, भू-जल स्रोतों पर अति निर्भरता पेयजल संकट के कुछ प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा, देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता आबादी में वृद्धि के कारण घटती जा रही है।

(ग): वर्ष 2024 तक नल जल कनेक्शन के जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पीने योग्य जल की व्यवस्था करने हेतु भारत सरकार जल जीवन मिशन (जेजेएम) का क्रियान्वयन राज्यों की भागीदारी से कर रही है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। अभी तक, पिछले 35 महीनों में 6.61 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, आज की तारीख तक, देश में 19.13 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 9.84 करोड़ (51.47%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जलापूर्ति होने की सूचना दी गई है।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, अमृत का शुभारंभ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के 500 चुनिंदा शहरों में 25 जून 2015 को जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, आंधी-तूफान में जल निकासी, गैर-मोटरकृत शहरी परिवहन तथा हरित स्थलों और पार्कों के क्षेत्रों में अवसंरचना उपलब्ध कराने पर फोकस के साथ किया गया था। अभी तक, चुनिंदा शहरों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति कवरेज हासिल करने के लिए 139 लाख नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य में से, 130 लाख (91.5%) परिवारों को अमृत के तहत और अन्य योजनाओं के सामंजस्य में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश के सभी संवैधानिक शहरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 05 वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) की अवधि के लिए 01 अक्तूबर 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ किया है। अमृत 2.0 शोधित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुन:उपयोग, जल निकायों के नवीकरण तथा जल संरक्षण के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है। अमृत 2.0 में शहरों को 'आत्म-निर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

*****